न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2019

अपीलांट्स–

1. करसनराम पुत्र बेसराराम
2. जोगाराम पुत्र बेसराराम
3. जोईताराम पुत्र बेसराराम
4. पैलादराम पुत्र बेसराराम
5. अचलाराम पुत्र बेसराराम
6. अमृति पत्नि बेसराराम
7. उकरड़ाराम पुत्र हरिया
8. द्वारकाराम पुत्र केवाराम
9. अतियों पत्नि केवाराम
10. जेठाराम पुत्र सगताराम
11. नागजीराम पुत्र सगताराम
12. वरजूदेवी पत्नि सगताराम
13. तेजाराम पुत्र हरखाराम
    जाति रबारी निवासी अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. सोनाराम पुत्र प्रभूराम
2. गोरखाराम पुत्र प्रभूराम
3. वेहनराम पुत्र प्रभूराम
4. पारूदेवी पत्नि प्रभूराम
5. खंगारराम पुत्र हरखाराम
6. जोगाराम पुत्र हरखाराम
   जाति रबारी निवासी अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
7. श्रीमान तहसीलदार, सेड़वा, जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/669 तहसीलदार सेडवा द्वारा अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु दिनांक 15.06.2018 को पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री भेराराम बेनीवाल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 7 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जगदीश चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 08/09/2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा अरटा के खसरा नंबर 264 रकबा 24–12 बीघा किस्म बारानी सोयम के खातेदारान द्वारकाराम वल्द केवाराम, अतियों पत्नि केवाराम, उकरड़ा वल्द हरिया, जेठाराम नागजीराम पिसरान सगताराम, वरजूदेवी पत्नि सगताराम, जोगा, जोंइता, करसन, प्रहलाद, अचला पिसरान बेसराराम, अमृति पत्नि बेसरा 1/2 तेजा, खंगार, जोगा पिसरान हरखा, सोनाराम, गोरखाराम, वेहनाराम पिसरान प्रभूराम, पारूदेवी पत्नि प्रभूराम कौम रबारी सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2018 तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी अरटी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी में दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 669 दिनांक 15.06.2018 पारित किया गया। इस आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 141 दायर कर विभाजन नक्शा का पुश्त पर अंकन किया जिसे तहसीलदार सेड़वा द्वारा दिनांक 15.06.2018 को ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 6 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि का विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 15.06.2018 एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 141 दिनांक 15.06.2018 पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्तागण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 के पूर्वजों के नाम संयुक्त कब्जा–काश्त एवं रहवासी ढाणियां, चार बाड़े, कुए, टांके, माठ आई हुई होने से सभी खातेदारों का पृथक से कोई हिस्सा खोला हुआ नही था, किन्तु मौके पर बाहमी तौर से भाई बंट अनुसार बंटवारा कर काबिज थे। संयुक्त खातेदारी की भूमि में से दोनो पक्षकारों ने कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स को रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 ने उक्त पैतृक भूमि का कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव दिया जिसे अपीलांट्स ने सहमत होकर हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार सेड़वा के समक्ष पेश हुए। हल्का पटवारी ने अपीलांट्स को धोखे मे रखकर नक्शा मे गलत तरमीम की रेखा खींचकर बंटवाड़ा दर्शा दिया। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सेड़वा द्वारा बिना मौके पर पैमाईश किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण सं. 141 पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश एवं नामान्तरकरण के आधार पर मौका पर काश्त कब्जा एवं रहवास के अनुसार नक्शा मे तरमीम नही की गई थी। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट्स की कदीमी एवं रहवासीय ढाणियां, टांके, कुए एवं उपजाउ खेड़े की जमीन में अपने कब्जा–काश्त की भूमि एवं रहवासीय ढाणियों मे शांतिपूर्वक निवास करते आ रहे थे कि जोत का विभाजन वास्तविक कब्जा अनुसार हुआ है किन्तु अर्सा पूर्व जब अपीलांट्स ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी व नक्शा की नकल प्राप्त की तो नक्शे में तरमीम मौका–कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने की जानकारी हुई। अपीलांट्स ने दिनांक 07.06.2019 को तहसील सेड़वा आकर बंटवाड़ा की नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं नामान्तरकरण तरमीम की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने की तिथी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश एवं नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा अरटा के खसरा नंबर 264 रकबा 24–12 बीघा किस्म बारानी सोयम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

के खातेदारान द्वारकाराम वल्द केवाराम, अतियों पत्नि केवाराम, उकरड़ा वल्द हरिया, जेठाराम नागजीराम पिसरान सगताराम, वरजूदेवी पत्नि सगताराम, जोगा, जोंइता, करसन, प्रहलाद, अचला पिसरान बेसराराम, अमृति पत्नि बेसरा 1 / 2 तेजा, खंगार, जोगा पिसरान हरखा, सोनाराम, गोरखाराम, वेहनाराम पिसरान प्रभूराम, पारूदेवी पत्नि प्रभूराम कौम रबारी सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2018 तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 669 दिनांक 15.06.2018 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सेड़वा द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से मे अंकित कर दी है तथा रास्ता का प्रावधान भी समुचित रूप से नही किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रकट इस तथ्य की जांच हेतु तहसीलदार सेड़वा से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पोडेंट्स ने भी अपील का इकबाली जवाब प्रस्तुत कर पैतृक जमीन का बंटवाड़ा बाहमी एवं कदीमी कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने की सहमति दी है। इस प्रकार उभय पक्षकारान के अभिवचनों से यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अ[illegible] न्यायालय तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलाधीन आदेश [illegible] कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन [illegible] है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 15.06.2018 एवं उसके आधार पर पारित नामान्तरकरण सं. 141 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. आदेश आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(ओमप्रकाश विश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:30 IST
Reason: SelfAttested